फतेहगढ़ पुलिस

15 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 15 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बरेली के थाना बिसारतगंज के गांव इस्माइलपुर निवासी यादवेंद्र सिंह पर शहर कोतवाली में बीते साल एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया गया था। यादवेंद्र सिंह गैंग बनाकर तीन अन्य साथियों के साथ अपराध को अंजाम देता था।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी यादवेंद्र। संवाद

आवास विकास चौकी प्रभारी स्वदेश कुमार ने मुखबिर की सूचना पर बरेली-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर को यादवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

उसके तीन अन्य साथियों की तलाश में पुलिस ने दबिश दी है। आरोपी को जेल भेजा गया है।

गैंगस्टर के आरोपित को बरेली से पकड़ लाई पुलिस

जासं, फर्रुखाबाद : गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपित को पुलिस बरेली स्थित उसके घर से पकड़कर ले आई। दोपहर बाद उसका चालान कर दिया गया। उसके ऊपर 15 हजार रुपये का इनाम बताया गया है। शहर कोतवाली पुलिस की एक टीम ने जनपद बरेली थाना बिसातगंज के गांव इस्माइलपुर निवासी सरदार यादवेंद्र सिंह के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर रात उसे यहां लाया गया। यादवेंद्र सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उसी मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। आवास विकास चौकी प्रभारी स्वदेश कुमार की ओर से उसकी गिरफ्तारी पांचालघाट मार्ग पर स्थित नेहा पेट्रोल पंप के निकट से दिखाई गई है। दोपहर बाद उसका चालान कर दिया गया। यादवेंद्र को गत वर्ष यहां गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से अफीम बरामद हुई थी। कोतवाली पुलिस के अनुसार यादवेंद्र की गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये इनाम घोषित था।

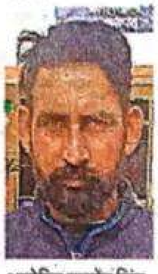

आरोपित यादवेंद्र सिंह ● जागरण

आरोपित का चालान: छेड़छाड़ से तंग आकर दुष्कर्म पीड़िता ने आग लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को आरोपित का चालान कर दिया। उसके खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

झांसी में वीआईपी ड्यूटी मुस्तैदी से करेगी अपने जिले की पुलिस

फर्रुखाबाद। झांसी में 24 नवंबर को वीआईपी ड्यूटी के लिए अपने जिले से जाने वाले पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी से करेंगे। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारियों का अहसास कराया। कहा कि झांसी में जिस पुलिस कर्मी की जहां पर डयूटी लगायी जाये से पूरी निष्ठा के साथ करें।कहीं से कोई लापरवाही न करें।

सीट बेल्ट न लगाने पर हुए चालान 1.17 लाख रुपये वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : 'दैनिक जागरण' द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित यातायात के तहत पुलिस कार्रवाई करने लगी है। यातायात पुलिस ने सीट बेल्ट न लगाकर वाहन चलाते सहित 89 चालान कर 1.17 लाख जुर्माना वसूला। यातायात प्रभारी रजनेश कुमार यादव ने टीम के साथ लालदरवाजा पर मंगलवार को अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहनों को रोका। इस दौरान 11 कार चालक ऐसे मिले जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। इसके अलावा बगैर हेलमेट बाइक चलाने, तीन सवारी बैठाने आदि के मामले में 89 चालान किए गए। यातायात प्रभारी ने बताया कि आनलाइन चालान कर 1.17 लाख समन शुल्क वसूला गया है। अमानक चल रहे तीन टेंपो को सीज किया गया।

जागरण प्रभाव

सीट बेल्ट न लगाने पर कार चालक का चालान कराते यातायात निरीक्षक रजनेश यादव • जागरण

मीडिया सेल